

न्यायालय श्रीमान् अमृतज्ञ महोदय, राजस्व मंडल
वकालियक (म.प्र.) क्र० १५ रोहि श्रीषा (५७)
 पक्का अंक R. 2031-512



2. 2031-512

सभाराम तनय अनंत राम चतुर्वेदी उम्र 75 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम
 डिहुली टीकर नम्बर 3 तहसील सिहावल जिला सीधी (म.प्र.)

अधिकारी श्री हम-एक डिहुली
 तिवारी इकाबा रु. ५०/-
 दिनांक 13-6-2012

—पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

13/6/12

1. बीरभद्र चतुर्वेदी तनय तेजाराम ब्राम्हण
2. बलभद्र चतुर्वेदी तनय तनय तेजाराम ब्राम्हण
3. राधेश्याम चतुर्वेदी तनय तेजाराम ब्राम्हण
4. सूर्यभद्र चतुर्वेदी तनय तेजाराम , क्र. ३५५-१६
 निवासी ग्राम डिहुली नम्बर 3 तहसील सिहावल जिला सीधी
5. मु. मनकी बेवा स्व. तेजाराम ब्राम्हण ५८
6. हरीनालायण तनय बलराम ब्राम्हण
7. व्यास तनय बलराम ब्राम्हण
8. बंदान्ती तनय बलराम ब्राम्हण
9. मु. रेवती पल्ली बलराम ब्राम्हण
10. रोहिणी तनय झाझेश प्रसाद सभी निवासी ग्राम-डिहुली खास । ३१८
11. अमरैतिया पुत्री झाझेश प्रसाद पल्ली गुलावराम निवासी ग्राम कोरैली खुर्द
12. बृहस्पति तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी निवासी डिहुली नम्बर 2
13. राजाराम तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी निवासी डिहुली नम्बर 2 तहसील
 सिहावल जिला सीधी ।
14. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला सीधी —गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर

सीधी जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक

165 / निगरानी / 2011-12 आदेश

दिनांक 18.05.12

मूल
 २०१२-२०१३ दिनांक १५

350

१८

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.2031.T/12 जिला सूची

सभाराम - चूबी विरुद्ध वीरभद्र - चूबी वग्र

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. एम० एम० तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी क्लिक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सूची के प्रकरण क्रमांक 165/ निगरानी / 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18.05.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	 सदस्य